पत्रांक–16/प्र0सु0–02–10/2014 का॰– 1958

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/उपायुक्त, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांक 27 फरवरी, 2015

विषय : मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के वेबसाईट 'मानव सम्पदा' पर व्यक्तिगत डाटा प्रविष्टि कार्य (IEDE) सम्पन्न नहीं करने वाले कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 23.12.2014 को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति पर विचारोपरान्त उच्चस्तरीय निर्णय के तहत दिनांक 31.01.2015 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर व्यक्तिगत डाटा प्रविष्टि कार्य सम्पन्न नहीं करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर 01.02.2015 के प्रभाव से रोक लगाने सम्बन्धी पत्र निर्गत किये गये थे।

जनवरी–फरवरी माह में बजट से सम्बन्धित कार्यों में सरकारी कर्मियों की अतिव्यस्तता तथा मार्च माह में वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के कारण विभागीय कार्यों की अधिकता होने के परिप्रेक्ष्य में एवं मार्च माह में होली का पर्व मनाये जाने के परिप्रेक्ष्य में अब निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2015 तक व्यक्तिगत डाटा प्रविष्टि कार्य की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी जाय।

अतः अनुरोध है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यक्तिगत डाटा प्रविष्टि कार्य के लिए पदाधिकारी/कर्मचारियों को 31 मार्च 2015 तक समय दिया जाय तथा प्रविष्टि पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अप्रैल माह का वेतन पर रोक लगायी जाय।

विश्वासभाजन

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

Copy forwarded to: Web Information Manager for
uploading on web-site of WRD.
sd/-
EE, P & M Div. No. 3
cum Nodal Officer, HRMS, WRD.